हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग (बी)

एस0 जे0 ई0–ए–बी(1)–4/2012 दिनांक शिमला–02 20 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या कल्याण–ए(4)–1/97 तारीख 31–01–2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक कार्य विभाग, उप निदेशक, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक कार्य विभाग, उप निदेशक, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगें ।

उपाबन्ध– "क" का संशोधन । **2** हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एंव अल्प संख्यक कार्य विभाग, उप निदेशक, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 के उपाबन्ध–"क" में स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध रखा जाएगा, अर्थात् :–

"जिला कल्याण अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर जिला कल्याण अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी के रूप में सयुंक्ततः पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें से जिला कल्याण अधिकारी के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिये पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को, जिन्होने जन जातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।

<u>स्पष्टीकरण–।</u> : उपयुर्क्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये जन जातीय / दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओ और कर्मचारी द्धारा किये गये कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

<u>स्पष्टीकरण–।।</u> : उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जन जातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगें:–

1. जिला लाहौल एंव स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा–क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लु जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत, रेणुकाजी तहसील के भलाड–भलौना तथा सांगना पटवार वृत और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगडा पटवार वृत, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगढ पटवार वृत और खोलानाल, पद्धर तहसील
   के झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ ट्रैला, रोपा, कथोग,
   सिल्ह–भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ पटवार वृत , थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच–बगडा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोशक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी:

(i) परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उनसे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए

जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हों, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अर्न्तगत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वे ान ऑफ वैकेंसीज इन दी हिमाचल पदे ा टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी" ।

आदेश द्वारा

सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(Authoritative English text of this department Notification No. No.SJE-A-B(1)-4/2012 dated 20th April, 2016 as required under article 348 (3) of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT-B

No.SJE-A-B (1)-4/2012 Dated: Shimla-2, the 20th April,2016

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Scheduled Castes, Other Backward Classes, and Minority Affairs Department, Deputy Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2002 notified vide this Department Notification No. Kalyan-A(4)-1/97 Dated 31/01/2002 namely :-

Short title and commencement (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Scheduled Castes, Other Backward Classes, and Minority Affairs Department, Deputy Director, Class-A (Gazetted) Recruitment & Promotion (1st Amendment) Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-A In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Scheduled Castes, Other Backward Classes, and Minority Affairs Department, Deputy Director, Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2002 for the existing provision against Col. 11, the following provision shall be substituted, namely:-

"By promotion from amongst the District Welfare Officer who possess 3 years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service, if any, rendered in the grade failing which by promotion from amongst the District Welfare Officer who have rendered 5 years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service if any, combined as District Welfare Officer and Tehsil Welfare Officer which shall also include essential service, of 2 years as District Welfare Officer:

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of

posts available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I: For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall be normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II: for the purpose of proviso (I) Supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area for Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis O Pargana, Munish Darkli and Gram Panchyat Kashapat, GP of Rampur Tehsil of District Shimla
5. Pandrah Bis Pargani of Kullu District
6. Bara Bangal Area of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangma Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sinnour District.
9. Kanyol-Bagra Patwar Cirle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Matyani, Ghahnyar, Thachi, Baagi. Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Kharwar, Kutgarh, Craman, Devgarh, Trailla Ropa. Kathog. Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Phadhar Tehsil, Chiuni, Kallpar, Mangarh, Thach-Bapa. North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwar Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous ad-hoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to condition that the ad-hoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after

following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R & P rules, provided that

(i) in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and place above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall process the minimum qualifying service of atleast of three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for Promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provision of Rule 3 of the Ex-servicemen (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, I985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly in all cases of confirmation continuous ad-hoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular - appointment against such posts shall be taken into account towards - the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper - selection and in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By Order

Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh